न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10 / 2022 दायर दिनांकः 14.07.2022

उनवान

1. रामचन्द्र (मृतक)
1 / 1. मोत्या बाई पत्नि स्व० रामचन्द्र जाति मीणा
1 / 2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा
1 / 3. रूपचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा
1 / 4. चमेली बाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा
1 / 5. सुशीला बाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासीगण बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. अशोक उम्र 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. चम्पा बाई पुत्री जीवनलाल जाति ब्राहमण निवासी बमोरी तहसील अटरू
2. श्याममुरारी पुत्र जयशंकर जाति ब्राहमण निवासी बमोरी तहसील अटरू
3. रामस्वरूप पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. भगवती बाई पत्नी गिरधारी जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू
6. राजेश बाई पत्नी राजमल जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू
7. शिवशंकर पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी बमोरी तहसील अटरू
8. रामचन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्याममुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी बमोरी तहसील अटरू
10. ब्रदीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी बमोरी तहसील अटरू
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

संशोधित निर्णय   दिनाकः 13.11.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 152 व 229 सीपीसी इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में जैरकार था जिसमे दिनांक 30/06/2025 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर. टी. एक्ट स्वीकार कर आदेश पारित किया जा चुका है। आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में आदेश पारित करते समय सहवन से रास्ते की लम्बाई 344 मीटर के स्थान पर 1376 मीटर दर्ज कर दी गई है जबकि मौके पर रास्ते की लम्बाई 344 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है। जो कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 18/12/2023 में भी वर्णित है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18/12/2023 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आदेश में माननीय न्यायालय के क्रियात्मक आदेश में 4 मीटर चौड़ा व 1376 मीटर लंबा यानि 5504 वर्गमीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.5504 हैक्टर भूमि की DLC दर की दुगनी राशि दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये गए है जबकि 4 मीटर चौड़ा व 344 मीटर लंबा यानि 1376 वर्गमीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.1376 हैक्टर भूमि की क्स्ब दर की दुगनी राशि दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश होना चाहिए। उक्त संशोधन से प्रार्थना पत्र पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उक्त संशोधन न्याय हित में नितान्त आवश्यक है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय के आदेश में दुरुस्त कर 4 मीटर चौड़ा व 344 मीटर लंबा यानि 1376 वर्गमीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.1376 हैक्टर भूमि की DLC दर की दुगनी राशि दिये जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करे ।

. प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी सहपठित धारा 229 आर0टी0एक्ट0 के परिपेक्ष्य में प्रकरण संख्या 53/2021 की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र को अभिनिर्धारित करने से पूर्व धारा 229 आर0टी0एक्ट में न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार का अवलोकन करना आवश्यक है।

धारा 229:– Power of review by Board and other revenue courts - Subject to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 -

(1) the Board of its own motion or on the application of a party to a suit or proceeding , may review and may rescind, alter or confirm any decree or order made by itself or by any of its members and

(2) Every revenue court, other than the Board, shall be competent to review any decree, order or judgment passed by such court.

इसी प्रकार धारा 152 सीपीसी में कोर्ट की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार के लिए धारा 152 सीपीसी का अवलोकन करना उचित होगा–

धारा 152 सीपीसी– Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties.

धारा 229 आर0टी0एक्ट0 सहपठित धारा 152 सीपीसी के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश या डिक्री में एक्सीडेन्टल स्लिप या ओमीशन के कारण हुई किसी लिपिकीय व गणीतिय त्रुटि या भूल को सुधारा जा सकता है। किसी प्रकरण में न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन निम्न ग्राउण्डस पर ही मंजूर की जा सकती है–

(i) जब कोई ऐसी स्पष्ट एवं गम्भीर त्रुटि हुई हो जो प्रकरण के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है।

(ii) जब कोई ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज/ साक्ष्य सामने आया हो जो न्यायालय द्वारा आदेश/डिक्री पारित करते समय पक्षकार द्वारा पेश नहीं किया गया था।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2025/3115 दिनांक 23.09.2025 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रकरण संख्या 10/2022 ग्राम बमोरी में मौका देखा गया एवं रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिसमें स्पष्ट लम्बाई एवं चौडाई के अंकन के संबंध में लिखा गया था। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 4 मीटर है जो सेन्टर मेड से 2–2 मीटर दोनो तरफ रखी गई है तथा कुल लम्बाई 344

मीटर है। प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि 4×344 = 1376 वर्गमीटर है। जिसका खसरे अनुसार अंकन पूर्व रिपोर्ट में किया जा चुका है।

तहसीलदार अटरू द्वारा पेश पूर्व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पूर्व में पेश रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/498 दिनांक 19.02.2024 के अनुसार ख0नं0 274 के उत्तरी–पूर्वी कोने पर पहुचने के लिए रास्ते की न्यूनतम दूरी की लम्बाई–चौडाई व खसरों का विवरण निम्न प्रकार होगा–

1. खसरा नं0 1018/280 में रास्ते की लम्बाई×चौडाई 117×2 वर्गमीटर = 234 वर्गमीटर
2. खसरा नं0 279 में रास्ते का क्षेत्रफल 37×2 वर्गमीटर = 74 वर्गमीटर
3. खसरा नं0 278 में रास्ते का क्षेत्रफल 36×2 वर्गमीटर = 72 वर्गमीटर
4. खसरा नं0 277 में रास्ते का क्षेत्रफल 83×2 वर्गमीटर = 166 वर्गमीटर
5. खसरा नं0 282 में रास्ते का क्षेत्रफल 85×2 वर्गमीटर = 170 वर्गमीटर
6. खसरा नं0 1174/276 में रास्ते का क्षेत्रफल 180×2 वर्गमीटर = 360 वर्गमीटर
7. खसरा नं0 1172/274 में रास्ते का क्षेत्रफल 10×2 वर्गमीटर = 20 वर्गमीटर
8. खसरा नं0 283 में रास्ते का क्षेत्रफल 140×2 वर्गमीटर = 280 वर्गमीटर

अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश एंव डिक्री दिनांक 30.06.2025 में संशोधन किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रार्थीगण के स्वामित्व खातेदारी की आराजी ग्राम बमोरी के खाता संख्या 317 का ख0नं0 274 व ग्राम बमोरी के खाता संख्या 120 का ख0नं0 1039/274 आराजी तक पहुंच हेतु ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 356 के खसरा नं0 283, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 481 खसरा नं0 1174/276 व ख0नं0 1172/274, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 190 खसरा नं0 282, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 320 खसरा नं0 277, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 301 खसरा नं0 278, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 379 खसरा नं0 1018/280 एवं ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 255 खसरा नं0 279 से मेड के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा एवं 344 मीटर लम्बा यानी 1376 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.1376 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 3 ता 10 को

दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां